भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2410

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

ईएसआई अंशदान

2410. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार, कामगारों की कार्यदशाओं में सुधार तथा व्यापार में सुगमता में सुधार करने हेतु सरकार ने ईएसआई अंशदान की दर में कटौती की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के इस कदम से नियोक्ताओं और कर्मचारियों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है; और

(घ) व्यापार में सुगमता एवं श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम तथा अन्य उठाए गए एवं उठाए जा रहे कदमों के बाद, सरकार पर इससे कुल कितना बोझ पड़ने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। ईएसआई अधिनियम, 1948 के दायरे में अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाने के लिए ईएसआई अंशदान की दर को 6.5 प्रतिशत (नियोक्ता दर 4.75 प्रतिशत तथा कर्मचारी दर 1.75 प्रतिशत) से घटाकर 4 प्रतिशत (नियोक्ता दर 3.25 प्रतिशत तथा कर्मचारी दर 0.75 प्रतिशत) कर दी गई है। अंशदान में घटी हुई दरें दिनांक 01.07.2019 से लागू होंगी। अंशदान की दरों में कमी से नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर बोझ कम होगा; कवरेज के साथ-साथ अनुपालन में सुधार होगा तथा "व्यापार में सुगमता" को भी यह योगदान देगी।

(ग): अंशदान में दरों की कमी के बाद, नियोक्ता को 3.25 प्रतिशत की दर से भुगतान तथा कर्मचारी को कुल वेतन (कर्मचारी को भुगतान किया जाता रहा है) का 0.75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा जो उनके द्वारा पहले क्रमश: 4.75 प्रतिशत तथा 1.75 प्रतिशत का भुगतान किया जाता था।

(घ): ईएसआई योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदानों द्वारा मुख्य रूप से वित्तपोषित होती है। योजना के संचालन में सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

*****